Annexure-XXXV

"Quest for Excellence"

SHRI GURU RAM RAI UNIVERSITY

(Established under Shri Guru Ram Rai University Act. No. 03 of 2017)

Circular

Ref: SGRRU/RO/OC/2023/05/04 **Date: - 12/05/2023**

Implementation of Reservation Policy Relating to Admission of Students in the Private Unaided Educational Institutions.

The Shri Guru Ram Rai University (Private University) declared as a Private University under Uttarakhand Act No 3 of 2017, Notification No:109/XXXVI(3)/2017/80(1)/2016, dated April 07, 2017. As per Shri Guru Ram Rai University first statutes 2017, the reservation of seats in all programs/courses shall be as per provisions of the Act.

1. The UGC letter No F.1-8/2014(SCT) dated on 1st February, 2021 for strict implementation of Reservation Policy of the government in Central Universities, Deemed to be Universities, Colleges and Other Grant–in-Aid Institutions and Centers, does not contain any condition relating to implementation of reservation policy to admission of students in Private Universities.

2. The Reservation Policy of the Government of India is not applicable for Shri Guru Ram Rai University as Shri Guru Ram Rai University does not receive any Aid from the public funds and as such the reservation policy, in so far as admissions are concerned, is not applicable to it. However, University on its own volition gives preference to applicants from reserved categories candidates if found eligible after relaxation as per the Government of India norms.

3. In view of the above legal position, there is no provision through any Central Act or State Act for reservation in the admission of students or appointment of employees in Private Self–Financing Universities.

12/05/23

Registrar
SGRR University

Enclosure:-

1- Implementation of Reservation policy of the Government in Universities, Deemed to be Universities, Colleges and other Grant-in –aid Institutions and Centers.

2- State Govt. notification No: 676/XXIV(8)/2006 regarding the Reservation Policy of State.

SHRI GURU RAM RAI UNIVERSITY Registrar DEHRADUN

विश्वविधालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
मंत्रालय विकास संसाधन मानव), भारत सरकार(
(Ministry of Human Resource Development, Govt. Of India)
35, फिरोज शाह मार्ग, नई दिल्ली110001 -
35, Feroze Shah Road, New Delhi- 110001
दूरभाष Phone : कार्यालय Off : 236046 -01162
Email : sctsection@gmail.com

F.1-8/2014(SCT)

February,2021

0 1 FEB 2021

The Registrar,
All Central/State/Deemed to be Universities.
and Grants-in-aid Institutions.

Sub:- Implementation of Reservation Policy of the Government in Universities, Deemed to be Universities, Colleges and other Grant-in-aid Institutions and Centres.

Sir/Madam,

This is in continuation to this office letter of even number dated 19.10.2020 and subsequent reminder dated 20.01.2021 on the subject mentioned above. As you are aware that the University Grants Commission is continuously monitoring the progress of implementation of Reservation Policy for SCs, STs & OBC,EWS and Persons with Disabilities in teaching and non-teaching posts as well as admission to all level courses in universities and colleges.

According to UGC Act, 1956 , the UGC has to ensure effective implementation of the Reservation Policy in Universities and Institutions receiving aid from the public funds except in Minority Institutions under Article 30(1) of the Constitution. All centrally funded Universities/colleges/Institutions are required to ensure strict compliance of Government of India orders/rules on the reservation in their institutions. State Universities including its affiliated/constituent colleges and other Institutes functioning within the State should follow the percentage of reservation for SC/ST & OBC as prescribed by the concerned State Government.

You are required to display the reservation roster which is to be updated at regular intervals on your web-site as per instructions issued by the Govt. of India, Dept. of Personnel & Training, New Delhi vide O.M. No.36012/2/96-Estt.(Res.) dated 2nd July, 1997.

You are also requested to fill up remaining backlog identified reserved vacancies under these categories in teaching and non- teaching posts. The UGC has circulated a letter No.F.1-5/2006(SCT) dated 19-11-2012 to all Universities regarding Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Act,2012 for compliance and necessary action as per the Gazette Notification 33 . It is mandatory to furnish report along with statistical information in respect of teaching and non-teaching as well as admissions to all level courses and Hostel accommodation during the 2020-21 as per the prescribed format on the University Activity Monitoring Portal (UAMP) of UGC at following link https://ugc.ac.in/uamp/) .

The above instructions should also be circulated to all the constituent and affiliated colleges of your university for follow-up action please.

Yours faithfully,

01/02/2021

(Dr. G.S.Chauhan)
Joint Secretary

SHRI GURU RAM RAI UNIVERSITY
Registrar
DEHRADUN

उत्तरांचल शासन,
शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी)
संख्या–676 / XXIV(8) / 2006
देहरादून दिनांक 4 अगस्त,2006

अधिसूचना

उत्तरांचल गैर अल्पसंख्यक अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अध्यादेश 2006 पारित हो गया है। इस अध्यादेश के अध्याय–4 (प्रवेश) के प्रस्तर–8 में इस प्रकार की संस्थाओं में सीटों के आंवटन, प्रस्तर–9 में सीटों के आरक्षण एवं प्रस्तर–10 में रिक्त सीटों के आवंटन की स्थिति स्पष्ट की गयी है। राज्य में संचालित गैर अल्पसंख्यक अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2006–07 में उपलब्ध सीटों में प्रवेश प्रकिया निम्नवत् है:–

क्र. स.	पाठ्यक्रम का नाम	संस्था में उपलब्ध सीटों का विभाजन		आरक्षण की स्थिति	अनुमन्य प्रवेश परीक्षा	काउन्सिलिंग प्रकिया	रिक्त सीटों के संबंध में स्थिति
1.	इंजीनियरिंग स्नातक पाठ्यक्रम	स्टेट (उत्तरांचल) कोटा	= 50 %	1.एस.सी19 % एस.टी. 4% ओबीसी14% (संबंधित वर्ग के अन्तर्गत महिलाओं को 20 %, विकलांग व्यक्ति को 03 % एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को 02 % होरिजेन्टल आरक्षण) 2. अखिल भारतीय कोटे की सीटों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के अनुसार।	ए.आई.ई. ई.ई. –2006	1. स्टेट कोटा एवं अखिल भारतीय कोटा की सीटों, की काउन्सिलिंग उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित केन्द्रीय काउन्सिलिंग के माध्यम से। 2. मैनेजमैन्ट सीटो की काउन्सिलिंग संस्था स्तर पर शासन एवं विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि की उपस्थिति में।	1.संबंधित अध्यादेश के प्रस्तर–9 एवं 10 के अनुसार गैर अल्पसंख्यक अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित सीटे अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त रहने पर, कॉमन प्रवेश परीक्षा की योग्यता सूची से उसी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा तकनीकी विश्वविद्यालय के माध्यम से
		अखिल भारतीय कोटा	= 35 %				
		मैनेजमैन्ट कोटा	= 15 %				

SHRI GURU RAM RAI UNIVERSITY
Registrar
DEHRADUN

				3. मैनेजमैन्ट कोटे की सीटों पर आरक्षण लागू नहीं होगा।			आयोजित कॉमन काउन्सिलिंग के माध्यम से । यदि तब भी सीटे रिक्त रहती है तो इन सीटों को राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त गैर आरक्षित श्रेणी के छात्रों से कॉमन काउन्सिलिंग के माध्यम से। 2. यदि संबंधित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किसी भी प्रकार की सीटे रिक्त रह जाती है तो वह सीटे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित योग्यता परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त वरीयता कम के आधार पर कॉमन काउन्सिलिंग के माध्यम से ।

क. स.	पाठ्यक्रम का नाम	संस्था में उपलब्ध सीटों का विभाजन	आरक्षण की स्थिति	अनुमन्य प्रवेश परीक्षा	काउन्सिलिंग प्रकिया	रिक्त सीटों के संबंध में स्थिति
2.	एम.सी. ए. पाठ्यकम	स्टेट (उत्तरांचल) कोटा = 50 % अखिल भारतीय कोटा = 35 % मैनेजमैन्ट कोटा = 15 %	1.एस.सी 19 % एस.टी. 4% ओबीसी 14% (संबंधित वर्ग के अन्तर्गत महिलाओं को 20 %, विकलांग व्यक्ति को 03 % एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को 02 % होरिजेन्टल आरक्षण) 2. अखिल	उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा।	1. स्टेट कोटा की काउन्सिलिंग उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित केन्द्रीय काउन्सिलिंग के माध्यम से। 2. अखिल भारतीय कोटे की सीटों एवं मैनेजमैन्ट सीटो की काउन्सिलिंग	1.संबंधित अध्यादेश के प्रस्तर–9 एवं 10 के अनुसार गैर अल्पसंख्यक अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित सीटे अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त

SHRI GURU RAM RAI UNIVERSITY
Registrar
DEHRADUN

				भारतीय कोटे की सीटों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के अनुसार। 3. मैनेजमैन्ट कोटे की सीटों पर आरक्षण लागू नहीं होगा।		संस्था स्तर पर शासन एवं विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि की उपस्थिति में ।	रहने पर, कॉमन प्रवेश परीक्षा की योग्यता सूची से उसी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा तकनीकी विश्वविद्यालय के माध्यम से आयोजित कॉमन काउन्सिलिंग के माध्यम से । यदि तब भी सीटे रिक्त रहती है तो इन सीटों को राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त गैर आरक्षित श्रेणी के छात्रों से कॉमन काउन्सिलिंग के माध्यम से। 2. यदि संबंधित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किसी भी प्रकार की सीटे रिक्त रह जाती है तो वह सीटे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित योग्यता परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त वरीयता कम के आधार पर कॉमन काउन्सिलिंग के माध्यम से ।

क्र. स.	पाठ्यक्रम का नाम	संस्था में उपलब्ध सीटों का विभाजन		आरक्षण की स्थिति	अनुमन्य प्रवेश परीक्षा	काउन्सिलिंग प्रकिया	रिक्त सीटों के संबंध में स्थिति
3.	एम.बी.ए. पाठ्यकम	स्टेट (उत्तरांचल) कोटा	= 50 %	1.एस.सी19 % एस.टी. 4% ओबीसी14% (संबंधित वर्गों के अन्तर्गत महिलाओं को 20	वैध मैट स्कोर अथवा कैट स्कोर	सभी प्रकार की सीटों की काउन्सिलिंग संस्था स्तर पर शासकीय एव विश्वविद्यालय	1.संबंधित अध्यादेश के प्रस्तर–9 एवं 10 के अनुसार गैर अल्पसंख्यक अनानुदानित निजी

SHRI GURU RAM RAI UNIVERSITY
Registrar
DEH

		अखिल भारतीय कोटा मैनेजमैन्ट कोटा	= 35 % = 15 %	%, विकलांग व्यक्ति को 03 % एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को 02 % होरिजेन्टल आरक्षण) 2. अखिल भारतीय कोटे की सीटों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के अनुसार। 3. मैनेजमैन्ट कोटे की सीटों पर आरक्षण लागू नहीं होगा।		के प्रतिनिधि की उपस्थिति में।	व्यावसायिक शिक्षण संस्थान में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित सीटे अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त रहने पर, कॉमन प्रवेश परीक्षा की योग्यता सूची से उसी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा तकनीकी विश्वविद्यालय के माध्यम से आयोजित कॉमन काउन्सिलिंग के माध्यम से । यदि तब भी सीटे रिक्त रहती है तो इन सीटों को राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त गैर आरक्षित श्रेणी के छात्रों से कॉमन काउन्सिलिंग के माध्यम से। 2. यदि संबंधित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किसी भी प्रकार की सीटे रिक्त रह जाती है तो वह सीटे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित योग्यता परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त वरीयता कम के आधार पर कॉमन काउन्सिलिंग के माध्यम से ।

SHRI GURU RAM RAI UNIVERSITY
Registrar
DEHRADUN

							योग्यता परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त वरीयता क्रम के आधार पर कॉमन काउन्सिलिंग के माध्यम से ।

क. स.	पाठ्यक्रम का नाम	संस्था में उपलब्ध सीटों का विभाजन		आरक्षण की स्थिति	अनुमन्य प्रवेश परीक्षा	काउन्सिलिंग प्रक्रिया	रिक्त सीटों के संबंध में स्थिति
5.	होटल मैनेजमैन्ट पाठ्यक्रम	स्टेट (उत्तरांचल) कोटा अखिल भारतीय कोटा मैनेजमैन्ट कोटा	= 50 % =35 % = 15 %	1.एस.सी19 % एस.टी. 4% ओबीसी14% (संबंधित वर्ग के अन्तर्गत महिलाओं को 20 %, विकलांग व्यक्ति को 03 % एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को 02 % होरिजेन्टल आरक्षण) 2. अखिल भारतीय कोटे की सीटों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के अनुसार। 3. मैनेजमैन्ट कोटे की सीटों पर आरक्षण लागू नहीं होगा।	उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा।	1. स्टेट कोटा की काउन्सिलिंग उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित केन्द्रीय काउन्सिलिंग के माध्यम से। 2. अखिल भारतीय कोटे की सीटों एवं मैनेजमैन्ट सीटो की काउन्सिलिंग संस्था स्तर पर शासन एवं विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि की उपस्थिति में ।	1.संबंधित अध्यादेश के प्रस्तर–9 एवं 10 के अनुसार गैर अल्पसंख्यक अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित सीटें अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त रहने पर, कॉमन प्रवेश परीक्षा की योग्यता सूची से उसी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा तकनीकी विश्वविद्यालय के माध्यम से आयोजित कॉमन काउन्सिलिंग के माध्यम से । यदि तब भी सीटे रिक्त रहती है तो इन सीटों को राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त गैर आरक्षित

SHRI GURU RAM RAI UNIVERSITY
Registrar
DEHRADUN

							श्रेणी के छात्रों से कॉमन काउन्सिलिंग के माध्यम से। 2. यदि संबंधित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किसी भी प्रकार की सीटे रिक्त रह जाती है तो वह सीटे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित योग्यता परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त वरीयता कम के आधार पर कॉमन काउन्सिलिंग के माध्यम से ।

एस. राजू
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. कुलपति, उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तरांचल शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल।
5. संबंधित सभी गैर अल्पसंख्यक अनानुदानित निजी व्यायसायिक शिक्षण संस्थायें।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।

SHRI GURU RAM RAI UNIVERSITY
Registrar
DEHRADUN

संख्या– /XXIV(4)/2019-25(01)/2018

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी, (नैनीताल)।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तराखण्ड।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4 देहरादून: दिनांक 03 जनवरी, 2019

विषय– उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत समस्त राज्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु दिव्यांग छात्र–छात्राओं को आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा 28 दिसम्बर, 2016 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–49) प्रख्यापित किया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–49) की धारा–32 (1) व (2) में उल्लिखित प्राविधान निम्नवत है–

32.(1) All Government institutions of higher education and other higher education institutuions receiving aid from the Government shall reserve not less then five percent seats for persons with benchmark disabitities.

(2) The persons with benchmark disabilities shall be given an upper age relaxation of five years for admission in institutions of higher education.

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत समस्त राज्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु दिव्यांग छात्र–छात्राओं को भारत सरकार द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में प्रख्यापित उक्त धारा–32 (1) व (2) के अनुसार आरक्षण एवं आयु सीमा में शिथिलीकरण अनुमन्य होगा।

अतएव कृपया उपुर्यक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 33 (1)/XXIV(4)/2019-25(01)/2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

SHRI GURU RAM RAI UNIVERSITY
Registrar
DEHRADUN